यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर (चमोली)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर (चमोली)** के माह 10/2016 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आशीष पाण्डेय व.ले.प., श्री अंशुमन अग्रवाल, एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.01.2019 से 18.01.2019 तक श्री संदीप गर्ग, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानूप्रताप सिंह एवं श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.10.2016 से 10.11.2016 तक श्री आई.के. जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2015 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सिविल वन भूमि में वन संरक्षण एवं भूमि संरक्षण के कार्य

3. (ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2016-17	4.28
2017-18	14.11
2018-19	11.56

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)		स्थपना		गैर स्थापना (` लाख में)		आधिक्य (+)₹	आधिक्य (-)₹
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	116.76	475.22	475.21	1497.51	1314.26	-	300.07
2016-17	-	300.07	477.66	477.66	682.04	839.86	-	142.25
2017-18	-	142.25	492.98	492.98	990.02	865.21	-	267.06

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अ0	प्राप्त	व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर (चमोली)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर (चमोली)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 01/2018 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो .....-.....

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

व्यय

भाग 2(ब)

प्रस्तर-1 इकोटास्क फोर्स द्वारा ₹ 100.63 लाख की लागत से किए गए वृक्षारोपण की सफलता की पुष्टि न किया जाना।

शासनादेश संख्या 98/14-प0भू0वि0/94, दिनांक 07-01-1994 में तालिका 1 से 8 तक वृक्षारोपण कार्य की वृक्षारोपण वर्ष से लेकर 10वें वर्ष तक सफलता का न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्षारोपण कार्य का वृक्षारोपण वर्ष में जीवितता/सफलता प्रतिशत 95 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए जबकि वृक्षारोपण के बाद 10वें वर्ष में उक्त सफलता प्रतिशत 30 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। उक्त मानक न्यूनतम हैं एवं यदि सफलता मानकों से कम देखी जाती है तो वृक्षारोपण पर किए गए व्यय के दुरुपयोग के लिए ज़िम्मेदारी तय की जाती है।

प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग की लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रभाग में वृक्षारोपण कार्य करने के लिए टेरिटोरियलआर्मी (जिसे आम भाषा में इकोटास्क फोर्स भी कहा जाता है) द्वारा भी कार्य किया जा रहा था जिसके समस्त अधिष्ठान व्यय एवं वृक्षारोपण पर किए गए व्यय का वहन प्रभाग/राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा था। इकोटास्क फोर्स द्वारा विगत पाँच वर्षों में रुपए 100.63 लाख (वर्ष 2013-14 में रुपए 16.80 लाख, वर्ष 2014-15 में रुपए 21.06 लाख, वर्ष 2015-16 में रुपए 16.54 लाख, वर्ष 2016-17 में रुपए 18.01 लाख एवं वर्ष 2017-18 में रुपए 28.22 लाख) की लागत से वृक्षारोपण किया गया था परंतु प्रभाग/विभाग द्वारा उक्त वृक्षारोपण की सफलता/जीवितता प्रतिशत की कभी कोई जांच नहीं की गयी थी जिस कारण से उक्त वृक्षारोपण पर व्यय की सफलता की पुष्टि नहीं की जा सकती थी।

इस विषय में इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने उत्तर दिया कि वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक के वृक्षारोपण की सूचना मुख्य वन संरक्षक,अनुश्रवण एवं मूल्यांकन,देहरादून को सत्यापन करने हेतु प्रेषित की गयी है। तथापि,लेखापरीक्षा ने पाया कि मुख्य वन संरक्षक,अनुश्रवण एवं मूल्यांकन,देहरादून द्वारा उक्त सूचना भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु मांगी गयी थी एवं उक्त सूचना के आधार पर उक्त वृक्षारोपण की सफलता/जीवितता प्रतिशत की जांच किए जाने की कोई संभावना नहीं थी।

अतः,प्रभाग/राज्य सरकार के व्यय पर इकोटास्क फोर्स द्वारा ₹ 100.63 लाख की लागत से किए गए वृक्षारोपण की सफलता की पुष्टि न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-2 धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी ₹127.59 लाख की लागत का वृक्षारोपण कार्य न किया जाना।

तपोवन विष्णुगाड़ जलविद्युत परियोजना के निर्माण के कारण वन विभाग द्वारा वृहत स्तर पर भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय उथल-पुथल की संभावना व्यक्त की गयी जिसके समाधान के लिए एक कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान (कैट प्लान) प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया गया। उक्त कैट प्लान के अनुसार अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग को कैट प्लान के प्रारम्भ होने के द्वितीय,तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में प्रत्येक साल 360 हेक्टेयर में वृक्षारोपण करना था। अतः, तीन वर्षों में कुल 360*3=1080 हेक्टेयर वृक्षारोपण किया जाना था। वर्ष 2011-12 में इसी कैट प्लान के अंतर्गत नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क को आवंटित वृक्षारोपण लक्ष्य 180 हेक्टेयर में से 157 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य भी अलकनंदा भूमि संरक्षण प्रभाग को ही सौंप दिया गया जिससे प्रभाग द्वारा किए जाने वाले वृक्षारोपण का वास्तविक लक्ष्य बढ़कर 1237 हेक्टेयर (1080 हेक्टेयर + 157 हेक्टेयर) हो गया जिसकी कुल लागत ₹ 481.19 लाख थी। इस कैट प्लान में अनुमोदित समस्त व्यय (वृक्षारोपण व अन्य व्यय) की पूर्ति के लिए जल विद्युत परियोजना द्वारा रुपए 48.50 करोड़ की धनराशि वर्ष 2008 में ही विभाग को उपलब्ध करवा दी गयी थी।

प्रभाग की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-12 में कैट प्लान प्रारम्भ होने के बाद प्रभाग द्वारा वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 तक तीन वर्ष की अवधि में केवल 909 हेक्टेयर में ही वृक्षारोपण कार्य किया गया है। अतः, 328 (1237-909) हेक्टेयर क्षेत्र में प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य नहीं करवाया गया था जिसकी लागत ₹127.59 लाख (328X481.19/1237) होती है। लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के पश्चात अग्रिम मृदा कार्य हेतु लक्ष्य ही प्रस्तावित नहीं किए गए अतः स्पष्ट है कि अब प्रभाग द्वारा और वृक्षारोपण कार्य करने का लक्ष्य त्याग दिया गया है जबकि कैट प्लान की पूरी लागत रुपए 48.50 करोड़ जल विद्युत परियोजना द्वारा पहले ही वन विभाग को अदा की जा चुकी है। धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद प्रभाग द्वारा 127.59 लाख रुपए लागत का 328 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण न कराये जाने से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ना संभावित है जिसके समाधान के लिए ही कैट प्लान के अंतर्गत उक्त वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित किया गया था।

इस विषय में इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने तथ्यों की पुष्टि की एवं उत्तर दिया कि क्षेत्र की अनुपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण कार्य कम प्रस्तावित किया गया एवं परियोजना के मिडटर्म रिव्यू के उपरांत वृक्षारोपण के लक्ष्यों का (अन्य प्रभागों को) पुनः आवंटन किया जाएगा। तथापि, क्षेत्र की अनुपलब्धता का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कैट प्लान में साफ

उल्लेख किया गया है कि 89514 हेक्टेयर क्षेत्र उपचार योग्य है जबकि प्रभाग को केवल उक्त क्षेत्र में से केवल 1237 हेक्टेयर क्षेत्र में ही वृक्षारोपण करना था।

अतः,धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी ₹ 127.59 लाख की लागत का वृक्षारोपण कार्य न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 2(ब)
(व्यय से संबन्धित)

प्रस्तर-3 निष्फल व्यय ₹ 18.71 लाख

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड, देहरादून के पत्र संख्या 816/3716 दिनांक 21 फरवरी 2018 द्वारा मुख्य वन संरक्षक,अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट देहरादून उत्तराखंड के द्वारा अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर के विभिन्न रेंजों की अनुश्रवण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध में कम सफलता प्रतिशत के संबंध में कारण अवगत कराने हेतु कहा गया है।

जिसके अनुसार प्रभाग में वर्ष 2014-15 में विभिन्न रेंजों में रोपित पौध का शासनादेश संख्या-98/14, प0भू0वि० दिनांक 07.01.1994 के मानको के अनुसार सफलता का प्रतिशत नहीं रहा।

अतः निम्नलिखित विवरण के अनुसार निम्न रेंज में निर्धारित मानक के अनुसार सफलता प्रतिशत नहीं रहा जिससे ₹1870803 का निष्फल व्यय हुआ।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-134 वर्ष 2018-19

क्रम संख्या	रेंज का नाम	वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	क्षेत्रफल(है0 में)	प्रति है रोपित पौध	कुल रोपित पौध	मौके पर जीवित पौध	सफलता प्रतिशत/मानक प्रतिशत	मानक से कम जीवित पौध	निष्फल व्यय(कम जीवित पौध (रूपय में)
1	पीपल कोटी	पुरसाड़ी व. प.	औषधीयपौधो का वृक्षारोपण	05	1100	5500	230	4.18% /48%	**2410**	**2410*73= 175930**
2	आटा गाड	गलनाऊ व. प.	बहुउद्देशीय वृक्षारोपण	05	1600	8000	480	06% / 48%	**3360**	**3360*58.5= 196560**
3	असेड़ सिमली	कोठा व.प. टुड़िया तोक	कैम्पा	05	1100	5500	434	7.89% / 48%	**2206**	**2206*73= 161038**
4	आटा गाड	भटोली, सुमेड तोक	जड़ी बूटी	10	1100	11000	1027	9.33% / 48%	**4253**	**4253*73= 310469**
5	पोखरी	शरणा चाई चमसील तोक	जड़ी बूटी	05	1100	5500	669	12.16% / 48%	**1971**	**1971*73= 143883**
6	पोखरी	तोडजी व.प. भेकता तोक	कैम्पा	05	1100	5500	735	13.36% / 48%	**1905**	**1905*73= 139065**
7	पीपलकोटी	चातुल किरुली व.प.पौधार तौक	ईधन प्रजातियों का रोपण	05	1100	5500	827	15.04%/48%	**1813**	**1813*73= 132349**
8	नन्दा किनी	कुंडी व.प. तेपाखा तोक	बहूद्देशीय वृक्षारोपण	10	1600	16000	3060	19.12%/48%	**4620**	**4620*58.5=270270**
9	नन्दा	सेतौली व.प.	कैम्पा	05	1100	5500	1433	26.05%/48%	1207	1207*73=881

	किनी	कमेड़ा तौक								11
10	थराली	मेलठा व,प, भमोरी गाड तोक	आरक्षित एव सिविल सोयम वनो का विकास	10	1600	16000	5554	34.71%/48%	2126	2126*58.5=124371
11	पीपल कोटी	कांणा खँड़रा व.प. रुई सांड विनायक तोक	ईधन प्रजातियों का रोपण	08	1100	8800	3185	36.19%/48%	1039	1039*73=75847
12	जोशीमठ	मेरंग जाखोली व.प.नेक नूड तोक	कैट प्लान	7	500	3500	1273	36.37%/48%	407	407*130=52910
										1870803

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगतकराया की पशु क्षति एव वर्षा कम होने से सफलता प्रतिशत कम रहा है।

अतः अनुरक्षण राशि प्राप्त होने के बाबजूद भी मानक सफलता प्रतिशत प्राप्त न होने के कारण वृक्षारोपण पर ₹ 18.71 लाख के निष्फल व्यय का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संग्यान में लाया जाता है।

भाग दो ब
(व्यय से संबन्धित)

प्रस्तर- 4 अनियमित व्यय ₹ 10.26 लाख

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के वाह्य स्रोत से सेवाओं की प्राप्ति हेतु नियम 61(2) के अनुसार ₹ 10,00,000 (₹ दस लाख) से अधिक लागत के कार्यों/सेवाओं हेतु सम्बन्धित विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम से कम एक व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन एवं संगठन की वेबसाइट के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित करने की निर्धारित तिथि तथा समय आदि तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निविदा सूचना निर्गत की **जानी चाहिए**।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,**अलकनंदा भूमि संरक्षण** वन प्रभाग,**गोपेश्वर के** अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मै0 **गर्ग कांट्रैक्टर सर्विस देहरादून एव कृष्णा प्लेसमेंट सर्विस प्रोवाइडर** द्वारा अक्टूबर 2016 **से मार्च** 2018 तक श्रम शक्ति उपलब्ध करायी गयी है तथा **कांट्रैक्टर एजेन्सीस** को इसके लिए 10/2016 से 03/2018 तक ₹1025997 का भुगतान किया गया है **जो दस लाख रूपय से अधिक है परंतु विभाग द्वारा दो अलग अलग एजेन्सीस द्वारा श्रम शक्ति ली गयी जिसके कारण विभाग ने उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का पालन नहीं किया था।** उक्त दोनों एजेन्सीस से अनुबंन्ध बिना निविदा के आमंत्रण पर कर लिया गया है। जबकि अनुबन्ध किये जाने **से** पूर्व **एक ही एजन्सि से श्रम शक्ति ली जानी चाहिए थी तथा** उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 निविदा सूचना निर्गत की जानी चाहिए थी जिससे कि इन अधिप्राप्तियों पर मूल्य प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त हो सके।

उक्त को इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि **संविदा कार्मिक रिक्तयों के सापेक्ष सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से राजकीय हित में रखे गये थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि** विभाग द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के नियम 61 (2) का अनुपालन नही किया गया था अतः ₹ 10.26 लाख़ का अनियमित व्यय किया गया था। **उक्त के अतिरिक्त सेवा प्रदत्त संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गए श्रमिकों के EPF और ESI को जमा किये जाने का साक्ष्य विभाग के पास उपलब्ध नहीं था। अतः श्रमिकों के EPF और ESI के जमा किए जाने की रसीद प्राप्त किया जाना भी अपेक्षित रहेगा।**

अतःप्रकरण **उच्च अधिकारियों** के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1 उचित रखरखाव के अभाव में ₹3.96 लाख की हानि।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रपत्र 15 के अनुसार लेखापरीक्षा अवधि में कुल 49455 पौध मारी (खराब) गयी। लेखापरीक्षा अवधि में पौध की बिक्री ₹ 08 प्रति पौध की दर से की गयी थी, अतः इस प्रकार कुल ₹3,95,640/-(49455x08) की हानि हुई।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि पौध के मरने (खराब होने) का कारण प्राकृतिक है तथा पौध के अनुरक्षण हेतु पर्याप्त मानव शक्ति तैनात की जाती है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पौध उगने के बाद ही मासिक प्रगत् रिपोर्ट में शामिल की जाती है तथा इतनी बड़ी संख्या में पौध मर जाना (खराब) सामान्य प्रतीत नहीं होता।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

<u>राजस्व से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
15/2005-06	1	-	
28/2006-07	1	-	
67/2010-11	-	1	1,2
36/2011-12	-	1	
154/2014-15	-	1	
17/2016-17	-	1	

व्यय से सं154/2014-15बंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
15/2005-06	1	-	-
28/2006-07	-	1	-
12/2004-05	1	-	-
07/2010-11	-	1	1,2
36/2011-12	-	1	-
154/2014-15	-	1,2,3,4	1
17/2016-17	-	1,2,3,4	-

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर (चमोली)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर (चमोली)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र